

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
आदेश

विभागीय संकल्प संख्या-346 दिनांक 17-01-2019 द्वारा विभिन्न जिलों में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय एवं विभाग के अधीन निगम/बोर्ड के प्रमण्डलीय एवं इससे संलग्न क्षेत्रीय कार्यालयों को सभी साजों सामानों के साथ यथा (उपयोगी मशीन, उपकरण, उपस्कर एवं वाहन) एवं पदबल सहित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्रणाधीन में किया गया है। साथ ही उक्त संकल्प के अनुपालन हेतु दिनांक 23-01-19 को आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निदेश दिया गया था कि सभी कार्यालय दिनांक 31-01-19 तक सभी साजों सामान एवं पदबल सहित संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में समाहित हो जायेंगे।

(2) उक्त संकल्प के अनुपालन में विभिन्न जिलों में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय एवं विभाग के अधीन निगम/बोर्ड के प्रमण्डलीय एवं इससे संलग्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के समीक्षोंपरांत यह पाया गया है कि उक्त सभी कार्यालयों द्वारा पदबल के साथ संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में समाहित हो गये हैं परन्तु उक्त कार्यालय द्वारा अपने सभी उपयोगी साजों सामान (मशीन, उपकरण, उपस्कर एवं वाहन) पूर्ववत् कार्यालय में ही छोड़ दिया गया है।

(3) अतः उपरोक्त के आलोक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं विभिन्न जिलों में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय एवं विभाग के अधीन निगम/बोर्ड के प्रमण्डलीय एवं इससे संलग्न क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेशित किया जाता है कि विभागीय संकल्प संख्या-346 दिनांक 17-01-2019 का समुचित रूप से अनुपालन में सभी उपयोगी साजों सामान (मशीन, उपकरण, उपस्कर एवं वाहन) के साथ पदबल सहित दिनांक 01-02-2019 तक समाहित हो जायेंगे। एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला उद्योग केन्द्र में स्थानान्तरित होने वाले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (निगम/बोर्ड/प्राधिकार/लोक उपक्रम सहित) के प्रभारी विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(4) इस व्यवस्था को अनुपालित कराने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की होगी। अनुपालन में किसी तरह की गयी लापरवाही को काफी गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा।

(5) स्थानान्तरित कार्यालय का नाम (नेमप्लेट) संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के बाहर मुख्य दरवाजा पर प्रदर्शित/लगाने की व्यवस्था संबंधित महाप्रबंधक द्वारा की जायेगी।

ह0/-

(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

झापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स०)/उ०स्था०(विविध)०१/१९

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बियाडा/आयडा/विसिको/बी०एस०आई०डी०सी०/बि०रा० वित्तीय निगम/वस्त्र निगम/औषधि एवं रसायन निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बि०रा० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उद्योग निदेशक/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक तकनीकी विकास/निदेशक खाद्य प्रसंस्करण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपर्युक्त अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के आलोक में यथोचित अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को काफी गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

झापांक:- 699

पटना, दिनांक:- 30.01.19

प्रतिलिपि:-आई०टी मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/1/19

सरकार के अवर सचिव